

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

कार्यालय आदेश

सं०-प्र०/ऊर्जा अ० स्था०-०४/२०२४-

५४

पटना, दिनांक:- २०.०८.२०२४

श्री सुजीत कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को अपनी माता जी के देहावसान के उपरांत श्राद्धकर्म हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम २२७, २३० एवं २४८ के अंतर्गत दिनांक-३१.०७.२०२४ से दिनांक-१६.०८.२०२४ तक कुल १७ (सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त उपार्जित अवकाश के उपभोगोपरांत उनके छुट्टी लेखे में कुल ६४ दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जाएंगे।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुधा गुप्ता),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०/ऊर्जा अ० स्था०-०४/२०२४-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

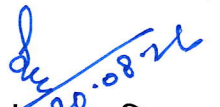
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०/ऊर्जा अ० स्था०-०४/२०२४-

५३५/

पटना, दिनांक:- २०.०८.२०२४

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-२/लेखा शाखा/रोकड़ शाखा/श्री सुजीत कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं आईटी प्रबंधक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।